रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 509] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2000/आश्विन 7, 1922
No. 509] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2000/ASVINA 7, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 759(अ).— खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 दिसम्बर, 1999 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 808 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 1999 द्वारा ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 13 दिसम्बर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, खाद्य मानकों की केंद्रीय समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (छठा संशोधन) नियम, 2000 है ।
2. ये 29-3-2001 को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में-

(i) नियम 42 के उपनियम (ययय) में खंड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(15) खनिज जल के प्रत्येक पैकेज पर बड़े अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा होगी जिसमें प्रत्येक अक्षर का वही आकार होगा जो नियम 36 में विहित है:

प्राकृतिक खनिज जल

(ii) नियम 49 में, उपनियम (28) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(29) कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के अधीन के सिवाय, खनिज जल का विनिर्माण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा";

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए पद "खनिज जल" का वही अर्थ होगा, जो इसका इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के मद क 32 में है ।

(iii) परिशिष्ट "ख" में मद क. 32 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क. 32. 1. खनिज जल में सभी प्रकार के खनिज जल या प्राकृतिक खनिज जल, चाहे उन्हें जिस किसी भी नाम से पुकारा या विक्रय किया जाए, सम्मिलित हैं ।

2. प्राकृतिक खनिज जल का वर्णन और किस्म

(i) प्राकृतिक खनिज जल सामान्य पेय जल से स्पष्ट रूप से सुभिन्न किया गया जल है क्योंकि

(क) वह इसके कतिपय खनिज लवणों और उनके सापेक्ष समानुपातों और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों या अन्य घटकों की उपस्थिति से इसकी विशेषता प्रदान की जाती है:

(ख) यह भूमिगत जल की परत से प्राकृतिक या वेधित स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है और न कि सार्वजनिक जल प्रदाय से, जिसके लिए प्राकृतिक खनिज

के रासायनिक और भौतिक गुणवत्ताओं पर किसी प्रदूषण या बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षित परिमापों के भीतर सभी संभव पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए;

(ग) इसके सम्मिश्रण की निरंतरता और इसकी उन्मुक्ति की स्थिरता तथा इसके तापमान के मामूली प्राकृतिक उतार चढ़ाव के चक्रों का उचित हिसाब रखा जाता है;

(घ) यह उन दशाओं के अधीन संगृहीत किया जाता है जो मूल सूक्ष्म जैविकी शुद्धता और अनिवार्य घटकों के रासायनिक सम्मिश्रण की गारंटी देती हैं;

(ङ) यह विशिष्ट स्वास्थ्य पूर्वावधानियों के साथ स्रोत के उद्गम के निकट पैकेज कर बंद किया जाता है;

(च) इसका इस मानक द्वारा अनुज्ञात शोधनों से भिन्न किसी प्रकार का शोधन नहीं किया जाता है;

(ii) प्राकृतिक रूप से कार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल अकार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल ऐसा प्राकृतिक खनिज जल है जो इसके नीचे यथा दिए गए संभव शोधन और उसी स्रोत से गैस के पुनः संयोजन के पश्चात् और पैकेजिंग के पश्चात् सामान्य तकनीकी सहयता का ध्यान रखते हुए स्वतः कार्बन डाइआक्साइड के उसी अंश को रखता है जो ताप और दाब की प्रसामान्य दशाओं के अधीन स्वतः और दृश्य रूप में निकल जाता है ।

(iii) अकार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल अकार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल ऐसा प्राकृतिक खनिज जल है जो प्रकृति द्वारा और इसके नीचे यथा दिए गए संभव शोधन के पश्चात् और पैकेजिंग के पश्चात् सामान्य तकनीकी सहयता का ध्यान रखते हुए, घुले हुए जल में उपस्थित हाइड्रोजन कार्बोनेट लवणों को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मुक्त कार्बन डाइआक्साइड अन्तर्विष्ट नहीं करता है ।

(iv) विकार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल विकार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल ऐसा प्राकृतिक खनिज जल है जिसमें इसके नीचे यथा दिए गए संभव शोधन के पश्चात् और पैकेजिंग के पश्चात् उद्गमन पर जो कार्बन डाइआक्साइड अंतर्विष्ट होती है उससे कम कार्बन डाइआक्साइड अंश होता है और जो ताप और दाब की प्रसामान्य दशाओं के अधीन कार्बन डाइआक्साइड को दृश्य रूप में और स्वतः नहीं निकाल देता है ।

§V§ स्रोत से कार्बन डाइआक्साइड से सशक्त प्राकृतिक खनिज जल स्रोत से कार्बन डाइआक्साइड से सशक्त प्राकृतिक खनिज जल ऐसा प्राकृतिक खनिज जल है जिसमें इसके नीचे यथा दिए गए संभव शोधन के पश्चात् और पैकेजिंग के पश्चात्, उद्गमन से अधिक कार्बन डाइआक्साइड हो ।

§VI§ कार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल कार्बनिकृत प्राकृतिक खनिज जल ऐसा प्राकृतिक खनिज जल है जिसे इसके नीचे यथा दिए गए संभव शोधन के पश्चात् और पैकेजिंग के पश्चात् किसी अन्य मूल की कार्बन डाइआक्साइड को मिलाकर फेनिल बना दिया गया है ।

3. शोधन और हथालन:- अनुज्ञात शोधन के अंतर्गत यदि आवश्यक हो तो पूर्ववर्ती वातन द्वारा त्वरित निस्तारण, और/या निस्पंदन द्वारा लौह, मैंगनीज, सल्फर या आर्सेनिक से युक्त यौगिकों जैसे अस्थिर संघटकों से पृथक्करण भी है ।

उपबंधित शोधन केवल इस शर्त पर ही किया जा सकेगा कि जल की खनिज अंतर्वस्तु को इसके ऐसे संघटकों में, जो जल को इसका गुणधर्म प्रदान करते हैं, रुपांतरित नहीं किया जाता है ।

बड़े आधानों में प्राकृतिक खनिज जल का परिवहन पैकेजिंग के लिए या पैकेजिंग से पहले किसी अन्य प्रक्रिया के लिए प्रतिषिद्ध है। प्राकृतिक खनिज जल स्वच्छ और जीवाणुरहित आधानों में पैकेजबद्ध किया जाएगा ।

स्रोत या उद्गमन के स्थान को प्रदूषण के जोखिमों से संरक्षित किया जाएगा ।

प्राकृतिक खनिज जल के उत्पादन के लिए आशयित संस्थापन ऐसा होगा जिससे कि संदूषण की कोई संभावना न रहे । इस प्रयोजन के लिए और विशिष्टतया -

(क) संग्रहण के लिए संस्थापन, पाइप और जलाधान, जल के लिए उपयुक्त सामग्री से और इस प्रकार बनाए जाएंगे कि जल में विजातीय पदार्थों का प्रवेश रोका जा सके ।

(ख) उपस्कर और उत्पादन के लिए उनका प्रयोग विशेष रूप से धुलाई और पैकेजिंग के लिए संस्थापन स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा ।

(ग) यदि, उत्पादन के दौरान यह पाया जाता है कि जल प्रदूषित है, तो उत्पादक सभी संक्रियाओं को तब तक के लिए रोक देगा जब तक प्रदूषण के कारण को समाप्त नहीं कर दिया जाता है ।

4. सभी खनिज जल निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात :—

क्रम संख्यांक	लक्षण	अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)
(1)	रंग, हेजन इकाई/सत्य रंग इकाई	2 से अधिक नहीं
(2)	गंध	रुचिकर
(3)	स्वाद	रुचिकर
(4)	आविलता	2 आविलता मिताई इकाई (एन. टी. यू.) से अधिक नहीं
(5)	संपूर्ण विलीन ठोस	150-700 (मिलीग्राम/लीटर)
(6)	पी एच	6.5-8.5
(7)	नाइट्रेट (एन ओ 3 के रूप में)	50 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(8)	नाइट्राइट्स (एन ओ 2 के रूप में)	0.02 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(9)	सल्फाइड (एच 2 एस के रूप में)	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
(10)	खनिज तेल (एच 5 ओ एच के रूप में)	अनभिज्ञेय

§1§	§2§	§3§
§11§	फैनोलिक यौगिक §सी 6 के रूप में§	अनभिज्ञेय
§12§	मैंग्नीज §एम एन के रूप में§	2.0 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§13§	तांबा §सी यू के रूप में§	1 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§14§	जिंक §जेड एन के रूप में§	5 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§15§	फ्लोराइड §एफ के रूप में§	1 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§16§	बेरियम §बी ए के रूप में§	1.0 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§17§	ऐंटीमोनी §एस बी के रूप में§	0.005 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§18§	निकल §एन आई के रूप में§	0.02 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§19§	बोरेट §बी के रूप में§	5 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§20§	पृष्ठ सक्रिय कारक	अनभिज्ञेय
§21§	सिल्वर §ए जी के रूप में§	0.01 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§22§	क्लोराइड्स §सी एल के रूप में§	200 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§23§	सल्फेट §एस ओ 4 के रूप में§	200 मि. ग्रा. /लीटर से अधिक नहीं
§24§	मेगनीशियम §एमजी के रूप में§	50 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§25§	कैल्शियम §सी ए के रूप में§	100 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§26§	सोडियम §एन ए के रूप में§	150 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§27§	क्षारता §एच सी ओ के रूप में§	75-400 मि. ग्रा/लीटर
§28§	आर्सेनिक §ए एस के रूप में§	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§29§	कैडमियम §सी डी के रूप में§	0.003 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§30§	साइनाइड §सी एन के रूप में§	0.07 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§31§	क्रोमियम §सी आर के रूप में§	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§32§	मरक्यूरी §एच जी के रूप में§	0.001 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§33§	सीसा §पी बी के रूप में§	0.01 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं
§34§	सेलेनियम §एस ई के रूप में§	0.05 मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं

§1§	§2§	§3§
§35§	बहु नाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स	अनभिज्ञेय
§36§	पॉलिक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल §पीसीबी§	अनभिज्ञेय
§37§	नाशक जीव मार अवशेष	विद्यमान सीमाओं से कम
§38§	"अल्फा" सक्रियता	0.1 बेकुरल/लीटर §बी क्यू से अधिक नहीं§
§39§	"बीटा" सक्रियता	1 पीको क्यूरी/लीटर §पी.सी.आई.§ से अधिक नहीं।
§40§	यीस्ट और फफूंदी गणना	अनुपस्थित
§41§	साल्मोनेलिया और शिगेला	अनुपस्थित
§42§	ई-कोली या ताप सहनशील कोली-फार्म 1×250 मिली लीटर	अनुपस्थित
§43§	कुल कोलीफार्मर्स ए×250 मिली.-लीटर	अनुपस्थित
§44§	मल स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेप्लायलो-कोकस ओरयूस 1×250 मिली. लीटर	अनुपस्थिति
§45§	सूडोमोनस ऐरुगिनोसा-1×250 मिली. लीटर	अनुपस्थित
§46§	सल्फेट अवायवीय अपचायक 1×50-मिली. लीटर	अनुपस्थित
§47§	लिब्रोकोलरा 1×250 मिली. लीटर	अनुपस्थित
§48§	वी पैराहीमोलाइटीकस 1×250 मिली-लीटर	अनुपस्थित

5. लेबल लगाने का प्रतिषेध मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के गुणधर्म की बाबत औषधीय §निरोधक, उपशमक या आरोग्यकारी§ प्रभाव का दावा नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य हितप्रद प्रभाव के दावे नहीं किए जाएंगे। किसी परिक्षेत्र, पुरवा या विनिर्दिष्ट स्थान को व्यापार नाम के भाग रूप में तब तक नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि यह उस व्यापार नाम में विनिर्दिष्ट स्थान से निगृहित प्राकृतिक खनिज जल को निर्दिष्ट न करें।

जनता के मन पर भ्रम उत्पन्न करने वाले किसी कथन या किसी चित्रात्मक युक्ति का उपयोग का या अन्य किसी प्रकार से विक्रय के लिए रखे गए प्राकृतिक खनिज जल की प्रकृति, उद्भव, सम्मिश्रण और गुण धर्म के बारे में जनता को भ्रमित करने का प्रतिषेध किया जाता है ।

[सं. पी-15014/11/99-पी एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पहले तारीख 12-9-1955 का सं. का. नि.2105 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 में प्रकाशित किए गए थे तथा अन्तिम बार सा. का. नि. 716(अ) तारीख 13-9-2000 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2000

G.S.R. 759(E).— WHEREAS certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) number G.S.R. 808 (E), dated the 10th December, 1999 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i); dated the 10th December, 1999 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days form the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 13th December, 1999;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :-

RULES

1. (1) These may be called the Prevention of Food Adulteration (6th Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on 29-3-2001.

2 In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,-

(i) in rule 42, in sub-rule (ZZZ), after clause (14), the following clause shall be inserted, namely:-

"(15) Every package of mineral water shall carry the following declaration in capital letters having the size of each letter as prescribed in rule 36 :

NATURAL MINERAL WATER

(ii) in rule 49, after sub-rule (28), the following sub-rule and explanation shall be inserted, namely :-

"(29) No person shall manufacture, sell or exhibit for sale mineral water except under the Bureau of Indian Standards Certification Mark";

Explanation- For the purpose of this rule, the expression "mineral water" shall have the same meaning as assigned to it in item A.32 of Appendix 'B' to these Rules

(iii) In Appendix 'B', for item A.32, the following item shall be substituted, namely:-

"A.32. 1. Mineral water means includes all kinds of Mineral Water or Natural mineral water by whatever name it is called and sold.

2. Description and Types of Mineral water.

(i) Natural mineral water is water clearly distinguished from ordinary drinking water because –

(a) it is characterized by its content of certain mineral salts and their relative proportions and the presence of trace elements or of other constituents;

(b) it is obtained directly from natural or drilled sources from underground water bearing strata and not from Public water supply for which all possible precautions should be taken within the protected perimeters to avoid any pollution of, or external influence on, the chemical and physical qualities of natural mineral water.

(c) of the constancy of its composition and the stability of its discharge and its temperature, due account being taken of the cycles of minor natural fluctuations;

(d) it is collected under conditions which guarantee the original microbiological purity and chemical composition of essential components;

(e) it is packaged close to the point of emergence of the source with particular hygienic precautions;

(f) it is not subjected to any treatment other than those permitted by this standard;

(ii) Naturally Carbonated Natural Mineral Water - A naturally carbonated natural mineral water is a natural mineral water which, after possible treatment as given hereunder and re-incorporation of gas from the same source and after packaging, taking into

consideration usual technical tolerance, has the same content of carbondioxide spontaneously and visibly given off under normal conditions of temperature and pressure.

(iii) Non- Carbonated Natural Mineral Water - A non-carbonated natural mineral water is a natural mineral water which, by nature and after possible treatment as given hereunder and after packaging taking into consideration usual technical tolerance, does not contain free carbon dioxide in excess of the amount necessary to keep the hydrogen carbonate salts present in the water dissolved.

(iv) Decarbonated Natural Mineral Water -A decarbonated natural mineral is a natural mineral water which, after possible treatment as given hereunder and after packaging, has less carbon dioxide content than that at emergence and does not visibly and spontaneously give off carbon dioxide under normal conditions of temperature and pressure.

(v) Natural Mineral Water Fortified with Carbon Dioxide from the Source - A natural mineral water fortified with carbon dioxide from the source is a natural mineral water which, after possible treatment as given hereunder and after packaging, has more carbon dioxide content than that at emergence.

(vi) Carbonated Natural Mineral Water - A carbonated natural mineral water is a natural mineral water which, after possible treatment as given hereunder and after packaging, has been made effervescent by the addition of carbon dioxide from another origin.

3. Treatment and handling:- Treatment permitted include separation from unstable constituents, such as compounds containing iron, manganese, sulphur or arsenic, by decantation and/or filtration, if necessary, accelerated by previous aeration.

The treatments provided may only be carried out on condition that the mineral content of the water is not modified in its essential constituents, which give the water its properties.

The transport of natural mineral waters in bulk containers for packaging or for any other process before packaging is prohibited. Natural Mineral water shall be packaged in clean and sterile containers.

The source or the point of emergence shall be protected against risks of pollution.

The installation intended for the production of natural mineral waters shall be such as to exclude any possibility of contamination. For this purpose, and in particular –

(a) the installations for collection, the pipes and the reservoirs shall be made from materials suited to the water and in such a way as to prevent the introduction of foreign substances into the water;

(b) the equipment and its use for production, especially installations for washing and packaging, shall meet hygienic requirements;

(c) if, during production it is found that that the water is polluted, the producer shall stop all operations until the cause of pollution is eliminated;

4. All Mineral Water shall conform to the following standards, namely :-

Sl. No.	**Characteristics**	**Requirements**
(1)	**(2)**	**(3)**
(1)	Colour, Hazen Unit / True Colour Unit	not more than 2
(2)	Odour	Agreeable
(3)	Taste	Agreeable
(4)	Turbidity	Not more than 2 nephelometric turbidity unit (NTU)
(5)	Total Dissolved Solids	150-700 mg/litre
(6)	PH	6.5 – 8.5
(7)	Nitrates (as NO_3)	Not more than 50 mg/litre
(8)	Nitrites (as NO_2)	Not more than 0.02 mg/litre
(9)	Sulphide (as H_2S)	Not more than 0.05 mg/litre
(10)	Mineral oil	Not detectable
(11)	Phenolic compounds (as C_6H_5OH)	Not detectable
(12)	Manganese (as Mn)	Not more than 2.0 mg/litre
(13)	Copper (as Cu)	Not more than 1 mg/litre
(14)	Zinc (as Zn)	Not more than 5 mg/litre
(15)	Fluoride (as F)	Not more than 1 mg/litre
(16)	Barium (as Ba)	Not more than 1.0 mg/litre
(17)	Antimony (as Sb)	Not more than 0.005 mg/litre
(18)	Nickel (as Ni)	Not more than 0.02 mg/litre
(19)	Borate (as B)	Not more than 5 mg/litre
(20)	Surface active agents	Not detectable
(21)	Silver (as Ag)	Not more than 0.01 mg/litre
(22)	Chlorides (as Cl)	Not more than 200 mg/litre
(23)	Sulphate (as SO_4)	Not more than 200 mg/litre
(24)	Magnesium (as Mg)	Not more than 50 mg/litre
(25)	Calcium (as Ca)	Not more than 100 mg/litre
(26)	Sodium (as Na)	Not more than 150 mg/litre
(27)	Alkalinity (as HCO_3)	75-400 mg/litre
(28)	Arsenic (as As)	Not more than 0.05 mg/litre

(1)	(2)	(3)
(29)	Cadmium (as Cd)	Not more than 0.003 mg/litre
(30)	Cyanide (as CN)	Not more than 0.07 mg/litre
(31)	Chromium (as Cr)	Not more than 0.05 mg/litre
(32)	Mercury (as Hg)	Not more than 0.001 mg/litre
(33)	Lead (as Pb)	Not more than 0.01 mg/litre
(34)	Selenium (as Se)	Not more than 0.05 mg/litre
(35)	Poly nuclear aromatic hydrocarbons	not detectable
(36)	Polychlorinated biphenyle(PCB)	not detectable
(37)	Pesticide Residue	below detectable limits
(38)	"Alpha" activity	Not more than 0.1 Bacquerel / litre (Bq)
(39)	"Beta" activity	Not more than 1 pico curie/litre (pCi)
(40)	Yeast and mould counts	absent
(41)	Salmonella and Shigella	absent
(42)	E. Coli or thermotolerant Coliforms 1 x 250 ml	absent
(43)	Total coliform bacteria A x 250 ml	absent
(44)	Fecal streptococci and Staphylococcus aureus 1 x 250 ml	absent
(45)	Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml	absent
(46)	Sulphite-reducing anaerobes 1 x 50 ml	absent
(47)	Vibrocholera 1 x 250 ml	absent
(48)	V Paraheamolyticus 1 x 250 ml	absent

5. Labelling Prohibitions No claims concerning medicinal (preventative, alleviative or curative) effects shall be made in respect of the properties of the product covered by the standard. Claims of other beneficial effects related to the health of the consumer shall not be made.

The name of the locality, hamlet or specified place may not form part of the trade name unless it refers to a natural mineral water collected at the place designated by that trade name.

The use of any statement or of any pictorial device which may create confusion in the mind of the public or in any way mislead the public about the nature, origin, composition and properties of natural mineral waters put on sale is prohibited.

[No. P-15014/11/99-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India vide SRO 2105 dated 12-9-1955 and were last amended vide GSR No. 716(E) dated 13-9-2000.

2646 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Filename:	GSR No- 759 (E) Dated 29th September 2000
Directory:	\\Ncrc-1\C\NOTIFICATIONS\WTO
Template:	C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:	
Subject:	
Author:	Mr.A.K. Srivastava
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	23/07/2002 16:53
Change Number:	11
Last Saved On:	23/07/2002 17:11
Last Saved By:	Mr.A.K. Srivastava
Total Editing Time:	18 Minutes
Last Printed On:	24/07/2002 16:04

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	13
Number of Words:	5 (approx.)
Number of Characters:	30 (approx.)